Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में (आईएएस) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग के विरूद्व आय से अधिक सम्पति के प्रकरण में ए.सी.बी. इंटेलिजेंस इकाई द्वारा सर्च जारी**

जयपुर, 27 अक्टूबर, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस, जयपुर इकाई द्वारा श्री मेघराज सिंह रत्नू हाल (आईएएस) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर एवं श्रीमती मंजूला रत्नू व अन्य के विरूद्व आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में प्रकरण दर्ज कर आज जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और सीकर में सर्च ऑपरेशन किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में **उप महानिरीक्षक भ्रनिब्यूरो, श्री रणधीर सिंह के सुपरविजन में श्री विशना राम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस जयपुर इकाई** के नेतृत्व में आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में श्री मेघराज सिंह रत्नू, पुत्र श्री बालुदान रत्नू निवासी बारठ का गांव बणियाणा, पोकरण जिला जेसलमेर हाल पी–60, राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर हाल (आईएएस) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर के निवास पर किये जा रहें तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेज व नकदी का विवरण निम्नानुसार है–

श्री मेघराज सिंह रत्नू के नाम से–प्लॉट नम्बर 22, शास्त्री नगर हाउसिंग स्किम अजमेर श्रेत्रफल 600 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 64 महालक्ष्मी नगर अजमेर रोड़ जयपुर, क्षेत्रफल 422 वर्गगज, प्लॉट नम्बर ए–6 शिव शक्ति नगर जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 1020 वर्गगज, प्लॉट एफ–35 शिव ऑफिसर कॉलोनी, 500 वर्गगज, श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि. की बालाजी बलेसिंग की अजमेर रोड़ पर भूखण्ड़ सख्या 8 डी, क्षेत्रफल 904.16 वर्गगज का पटट्ा होना पाया गया।

श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम से प्लॉट नम्बर 65, महालक्ष्मी नगर अजमेर रोड़ जयपुर, क्षेत्रफल 422 वर्गगज, फ्लेट नम्बर सी–402 त्रिमूर्ती कॉम्पलेक्स मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 1242 वर्गफीट, फ्लेट नम्बर सी–403 त्रिमूर्ती कॉम्पलेक्स मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 1242 वर्गफीट होना पाया गया।

श्री मेघराज की पुत्री माहीजा रत्नू के नाम से प्लॉट नम्बर 63, महालक्ष्मी नगर अजमेर रोड़ जयपुर, क्षेत्रफल 422 वर्गगज का होना पाया गया।

श्री मेघराज सिंह रत्नू के भांजे महिपाल सिंह के नाम पर बालाजी बलेसिंग–3 अजमेर रोड़ पर भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 500 वर्गगज का पटट्ा, भांजे महिपाल सिंह एव उनकी पत्नी मनीषा बारेठ के नाम से बालाजी बलेसिंग–3 अजमेर रोड़ पर भूखण्ड संख्या 07 डी क्षेत्रफल 550 वर्गगज एवं भूखण्ड़ संख्या 13 क्षेत्रफल 500 वर्गगज का पटट्ा पाया गया।

तलाशी में नकद राशि 6 लाख 2 हजार 210 रूपये व सोने चॉदी के जेवरात, एसबीआई, एचडीएफसी, एयू स्मॉल बैंक में 4 लॉकर (जिनकी सर्च की जानी है), श्री मेघराज रत्नू एंव परिवारजन के विभिन्न बैंकों में कई खाते, मकान पर तीन वाहन फोर्ड एंडेवर, हुंडई आई–10, मारूती एसएक्स–4, श्री रत्नू के पुत्र मिहीर रत्नू के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट पर अध्ययन में करीब 50 लाख रूपये के भुगतान संबंधी दस्तावेज भी पाये गये।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन एवं उप महानिरीक्षक भ्रनिब्यूरो, श्री रणधीर सिंह के सुपरविजन में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ, श्री बलराम सिंह मीणा नेहरू सहकार भवन, स्थित श्री मेघराज सिंह रत्नू हाल (आईएएस) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर के कार्यालय कक्ष की तलाशी के दौरान निजी पत्रावली, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की रसीद, बिजली का बिल, चार संदिग्ध डायरियां व एक पेन ड्राइव, मेघराज सिंह के नाम से एसबीआई बैंक की चेक की फोटो प्रति आदि प्राप्त हुए है।

विश्वसत सूत्रो से एसीबी को सूचित किया गया है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शिक्षा पर करीब 60 लाख रूपये, पुत्री की शादी पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रूपये का व्यय किया है एवं श्री रत्नू ने अपने सेवाकाल में विदेश यात्राएं करना, जयपुर क्लब व रामबाग गोल्फ क्लब में सदस्यता, मूल्यवान परिसम्पतियों के दस्तावेज आदि मिलने की भी संभावना है।

ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री ललित शर्मा, श्री आहद खान श्री विजय सिंह, श्री पवन मीणा, श्री अतुल साहू, एवं श्री संग्राम सिंह की टीमों द्वारा जयपुर सहित अन्य ठिकानो पर सर्च जारी है

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।